उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-12/366/एक-1-2016-20(6)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 29 मार्च, 2016

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, बाराबंकी के आदेश संख्या-36/भू0व्य0(पुनर्ग्रहण), दिनॉक 04.10.2001 द्वारा ग्राम फतेहपुर देहात, परगना व तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी स्थित ग्राम सभा भूखण्ड संख्या-1776/1 रकबा 9-18-3 बीघा राजकीय महाविद्यालय के निर्माण हेतु पुनर्ग्रहण कर उच्च शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखी गयी थी।

2. जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या-70/पॉच भू0व्य0-2016, दिनॉक 19.02.2016 द्वारा प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में राजकीय महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि गाटा संख्या-1776मि. रकबा 2.509 हे0 स्थित ग्राम फतेहपुर (खास) जो राजस्व अभिलेखों में राजकीय महाविद्यालय, फतेहपुर के नाम अंकित है, परन्तु वर्तमान में उपरोक्त भूमि पर राजकीय महाविद्यालय का कोई निर्माण नहीं है। उक्त भूमि पर राजकीय महिला पॉलीटेक्निक के निर्माण हेतु शासन के उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5 के पत्र संख्या-888/सत्तर-5-2016-40(36)/2012, दिनॉक 21.03.2016 द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अनुरोध पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के लिये उक्त पुनर्ग्रहीत भूमि पर राजकीय महिला पॉलीटेक्निक के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग की सहमति/ अनापत्ति व्यक्त की गयी।

3. प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त जिलाधिकारी, बाराबंकी के आदेश संख्या-36/भू0व्य0(पुनर्ग्रहण), दिनॉक 04.10.2001 द्वारा ग्राम फतेहपुर देहात, परगना व तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी स्थित ग्राम सभा भूखण्ड संख्या-1776/1 रकबा 9-18-3 बीघा राजकीय महाविद्यालय के निर्माण हेतु निर्गत पुनर्ग्रहण आदेश को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

4. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ सपठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित

shasnadesh.up.nic.in

-2-

उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 व 6 में उल्लिखित भूमि का पुनर्ग्रहण अनुसूची के उपरान्त अंकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन करते हुए राजकीय महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बाराबंकी	फतेहपुर	फतेहपुर	फतेहपुर खास	1776 मि.	2.509	प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए राजकीय महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु।
				योग	**कुल 01 गाटा**	**2.509 हे0**	

इस आदेश की प्रतियॉं कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5. प्रश्नगत भूमि को राजकीय महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु नि:शुल्क पुनर्ग्रहण कर प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखा जा रहा है। उक्त भूमि का उपयोग केवल राजकीय महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग को उक्त भूमि की आवश्यकता न होने पर अतिशीघ्र राजस्व विभाग को वापस कर दिया जायेगा। प्रश्नगत भूमि को किसी व्यक्ति/संस्था को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

6. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

shasnadesh.up.nic.in

-3-

संख्या-366(1)/एक-1-2016-20(6)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ।
5. जिलाधिकारी, बाराबंकी को उनके पत्र संख्या-70/पॉच भू0व्य0-2016, दिनॉक 19.02.2016 के सन्दर्भ में।
6. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in